

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4290
13.12.2019 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट प्रबंधन

4290. श्री गौतम सिगामणि पोनः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में पंचायत के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त पहल में अन्य देशों और भारत के संगठनों सहित भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार अपशिष्ट के किसी विशिष्ट उपयोग से अवगत है जिसे प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) : मंत्रालय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 का अधिक्रमण करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों में, स्थानीय प्राधिकरणों, जन-गणना वाले शहरों एवं शहरी जन-समूहों के ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों और दायित्वों के अंतर्गत, अपशिष्ट बीनने वालों तथा अपशिष्ट एकत्रकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायतों को अधिदेश दिया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तंत्र स्थापित करके उसे प्रचालित करें और अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में समन्वय स्थापित करें और प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण एवं ढुलाई की व्यवस्था तथा पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनर्चक्रण एजेंसी के पास पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, सभी हितधारकों में उनके दायित्वों के विषय में जागरूकता पैदा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले स्थान में न जलाया जाए।

‘‘खतरनाक पदार्थों के लिए प्रबंधन संरचना का निर्माण’’ योजना के तहत, मंत्रालय द्वारा चुनिंदा शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु क्षमता संवर्धन कार्यक्रम, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शुरू करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को विनियोजित किया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लोगों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत में कमी लाकर और उन्हें प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लाभों की जानकारी देकर लोगों को शिक्षित करने और

उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु अभियानों के संचालन के लिए चिंतन, एक शैक्षिक अनुसंधान और कार्य समूह तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान को विनियोजित किया है।

(घ) और (ङ.) जिस अपशिष्ट को विभिन्न स्रोतों पर फैक दिया जाता है, उसे प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से संसाधन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट को कंपोस्टिंग या जैव-मिथेनीकरण के माध्यम से क्रमशः कंपोस्ट और बायो-गैस के उत्पादन के लिए प्रसंस्कृत, उपचारित और निस्तारित किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग (i) सड़क निर्माण में, (ii) सीमेंट भट्टों में सह-प्रसंस्करण के लिए, (iii) प्लास्टिक अपशिष्ट को द्रव आरडीएफ (तेल) में परिवर्तित करने में और (iv) प्लाज्मा पाइरोलासिस प्रौद्योगिकी (पीपीटी) के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान में किया जाता है। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को रेत, बजरी, ईट, इस्पात, लकड़ी आदि की पुनःप्राप्ति के लिए सह-प्रसंस्कृत किया जाता है और उसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यकलापों में किया जाता है, ई-अपशिष्ट को सोना, चांदी, तांबा आदि जैसी मूल्यवान सामग्री की पुनःप्राप्ति हेतु विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके सह-प्रसंस्कृत किया जा सकता है।
